राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 327/2008/चित्तौडगढ़

वाणिज्यिक कर अधिकारी, ...अपीलार्थी.
वाणिज्यिक कर, वृत–निम्बाहेड़ा

बनाम

मैसर्स शहनाज खां पुत्र श्री मीर बहादुर खां, ...प्रत्यर्थी
प्रतापगढ

एकलपीठ
श्री नत्थूराम – सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.खदाव, ...अपीलार्थी की ओर से
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से
अनुपस्थित

दिनांक : 29/10/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 61/आरएसटी/चि0/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2007 के विरूद्ध पेश की गई है जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–निम्बाहेड़ा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 30, 37 एवं 58 तथा The Rajasthan Tax on Entry of Motor Vehicles into Local Areas Act, 1988 की धारा 3 व 6 एवं नियम, 1992 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) सपठित धारा 100 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 16.10.2006 के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण में शास्ति को अपास्त करते हुए कर को यथावत रखा एवं ब्याज के बिन्दु पर ब्याज की गणना नवीन कर निर्धारण आदेश पारित करने की तिथि से पुनः गणना किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा ब्याज व शास्ति के बिन्दु पर अपील पेश की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 09.08.2000 को राज्य के बाहर से एक चैसीस कीमतन 6,27,310/– का क्रय किया जाकर राज्य में प्रवेश करते समय न तो ईटी–1 प्राप्त कर पेश किया एवं न ही प्रवेश कर जमा कराया। अतः दिनांक 05.06.2002 को मूल कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए प्रत्यर्थी के विरूद्ध रू0 1,79,712/– की मांग कायम की गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी ने अपीलीय अधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष अपील पेश की। अपीलीय अधिकारी, भीलवाड़ा ने आदेश दिनांक 06.09.2005 द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर दिया गया। प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 16.10.2006 द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए, प्रत्यर्थी के विरूद्ध कर रू0 75,277/–,ब्याज रू0. 67,871/– तथा शास्ति रू0 37,638/– कुल रू0 1,80,786/– मांग कायम की गयी। उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी, उदयपुर के समक्ष अपील पेश करने

लगातार.....2

पर, अपीलीय अधिकारी ने निर्णय दिनांक 10.10.2007 द्वारा शास्ति को अपास्त किया एवं कर को यथावत रखते हुए ब्याज के बिन्दु पर पुनः गणना हेतु प्रकरण को पुनः निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा शास्ति व ब्याज के बिन्दु पर यह अपील पेश की गयी है।

3. प्रत्यर्थी अखबार में प्रकाशन साया कराने के बावजूद भी अनुपस्थित रहा है, उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए, विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा विभाग से प्रपत्र ई.टी.–1 प्राप्त किये बिना राज्य के बाहर से वाहन आयात किया जाकर राज्य में पंजीयन कराये जाने से सशक्त अधिकारी द्वारा इसकी कीमत पर प्रवेश कर अधिनियम की धारा 6 व 7 के तहत कर, शास्ति एवं ब्याज का आरोपण विधिनुसार किया गया था। अपीलीय अधिकारी ने तथ्यों का नजर अन्दाज करते हुए शास्ति को अपास्त किया है एवं ब्याज के बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने में विधिक भूल की है। उनका निवेदन था कि अपीलार्थी–विभाग द्वारा शास्ति व ब्याज के बिन्दु पर प्रस्तुत अपील स्वीकार की जावे।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी निम्बाहेड़ा के कार्यालय में दिनांक 03.08.2000 को ईटी–1 प्रपत्र चाहने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था किन्तु कार्यालय से ईटी–1 प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। माननीय कर बोर्ड द्वारा पूर्व पारित निर्णय मै0 पारसमणी रोड़लाईन्स प्रा0लि0, राजसमन्द में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिनांक 16.10.2006 में उक्त निर्देश की पालना नहीं की गयी परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र से संबंधित कमियों अथवा खामियों एवं प्रत्यर्थी के दायित्वों की समीक्षा करके उक्त प्रार्थना पत्र को आदेश पारित करते समय मान्यता देना विधिसम्मत नहीं होने का अंकिन किया है जबकि उक्त प्रकार की समीक्षा तत्कालीन समय में प्रार्थना पत्र को समुचित कारणों के आधार पर अमान्य किये जाने संबंधी आदेश पारित करके प्रत्यर्थी को सूचित कर देना चाहिये था जो नहीं किया गया। इस कारण प्रत्यर्थी तत्कालीन समय में ईटी–1 प्रदान नहीं किये जाने के कारण वाहन क्रय करते समय ईटी–1 प्रपत्र का उपयोग नहीं कर पाया जिससे प्रत्यर्थी की करापवंचना की मंशा जाहिर नहीं होती है। अपीलीय अधिकारी ने ईटी–1 प्रपत्र के अभाव में आरोपित की गयी शास्ति को अपास्त करने में किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं की है। अपीलीय अधिकारी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित मै0 फिलिप्स इण्डिया लि0 36 एसटीसी पेज 636(2004) के प्रकाश में ब्याज के बिन्दु पर पुनः गणना करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित करने में भी कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. फलतः अपीलार्थी–राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 10.10.2007 की पुष्टि की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

नत्थूराम

(नत्थूराम)

सदस्य